

19/12/2022

कावली पेश हुई। वकील पक्षकारों हाजिर नहीं। माध्यम पक्षी ठह गसाह खगिर नहीं। आज न्यायालय में तीन-तीन बार आवेज लागवाने पर भी हाजिर नहीं आते पर पत्रावली अंतर्गत 0-9, R-3 CPC के तहत अकम् हाजिरी व अकम् पेशकी में हलद्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली केसल सुमार की जाकर गंवर से काम लेकर काबिला हफ्तर है। निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाना जाकर और हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
जामर लेक (जयपुर)

